42

pmypcuagra@gmail.com

मो0 नं0 : 09473942644,

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक,

यमुना प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)

वाटर वर्क्स चौराहा, जीवनी मण्डी रोड, आगरा – 282 004

पत्रांक .... / / दिनांक ....

FULL TITTLE OF PROJECT: DIVERSION OF 0.9024 HEC. RESERVED FOREST LAND AT VILLAGE-ARTONI (KHASRA NO-339) ,BAIPUR (KHASRA NO.-723 mi) ,KAILASH MANDIR (KHASRA NO.-1068), TRANSPORT NAGAR (KHASRA NO.-974,975), K.K NAGAR (KHASRA NO.- 1/ 1), MAU NALA (KHASRA NO.-883, 884, 885, 886, 887, 888 ,890 ,891 ,892 ,893 & 894) & JALMA SANSTHAN (KHASRA NO.-34/4) PROPOSED TO BE DIVERTED FOR CONSTRUCTION OF D.S.T.P.IN SCHEME OF NAMAMI GANGE, AGRA SEWERAGE (I & D AND STP WORKS) IN AGRA,UTTAR PRADESH

मानक शर्तें

(वन अनुभाग–3 उत्तर **प्रदेशशासन** की पत्र संख्या– 7314/14–3–1980/344, दिनांक 31.12.1984 द्वारा निर्धारित)

1. भूमि हस्तांतरण के बाद भी उसके वैधानिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह पूर्व की भांति रक्षि/आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का प्रयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा, अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भाग को अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तातंरित नहीं करेगा।
4. भूमि का संयुक्त निरिक्षण करके सुनिश्चित कर लिया जाए कि मांगी गई भूमि न्यूनतम भूमि है तथा उसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. हस्तांतरी विभाग उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार क्षति नहीं पहुचाएंगे और ऐसा किया जाने पर सबन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे का भुगतान उक्त विभाग को करना होगा।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से संबन्धित वनाधिकारी देख रेख मे कराएगा तथा इस सम्बन्ध मे बनाए गए गुनारे आदि कि देख भाल करेगा।
7. हस्तातंरित वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को निरीक्षण हेतु जाने हस्तातंरित विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।
8. बहुमूल्य वन सपदा से आच्छादित एव वन जतुओं को भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तातंरण यथा सम्भव प्रस्तावित ना किया जाये। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जान सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन संपदा की क्षतिपूर्ण एवं जंतुओं के विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तातंरित की जायेगी।
9. सिंचाई/जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरियो/पौधो को एवं वन विभाग के कर्मचारियों को निशुल्क जल सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तातंरित वन भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन करने पर वन भूमि स्वत: बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किए वन विभाग को वापस हो जाएगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को ना रहने पर भी हस्तातंरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वत: बिना किसी प्रतिकार का भुगतान किए वन विभाग का प्रत्यावर्तित हो जाएगी।
11. सड़क निर्माण मे प्रस्तावो पर एलाईनमेंट तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बंध मे प्रमुख अभियंता, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अतिरिक्त मुख्य अभियंता, पर्वतीय क्षेत्र, पौडी को सम्बधित पत्र संख्या– 608/सी दिनांक 10.02.1982 मे निहित आदेशों का पालन भी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा कि अश्व मार्ग बनाना अथवा वनमार्गों का मामूली फेरबदल कर पक्का कराना होगा, बशर्ते ऐसा करना याचक विभाग के खर्चे से पर्याप्त न होगा और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।
12. वन भूमि का मूल्य संबन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत मूल्य सम्बन्धी प्रमाण पत्र के आधार पर आंकलित होगा जो याचक विभाग को मान्य होगा।

प्रतिहस्ताक्षरित

परियोजना प्रबन्धक
यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई
उ0 प्र0 जल निगम (ग्रामीण), आगरा

43

pmypcuagra@gmail.com

मो० नं० : 09473942644,

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक,

यमुना प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)

वाटर वर्क्स चौराहा, जीवनी मण्डी रोड, आगरा – 282 004

पत्रांक .... / / दिनांक ....

FULL TITTLE OF PROJECT: DIVERSION OF 0.9024 HEC. RESERVED FOREST LAND AT VILLAGE-ARTONI (KHASRA NO-339) ,BAIPUR (KHASRA NO.-723 mi) ,KAILASH MANDIR (KHASRA NO.-1068), TRANSPORT NAGAR (KHASRA NO.-974,975), K.K NAGAR (KHASRA NO.- 1/ 1), MAU NALA (KHASRA NO.-883, 884, 885, 886, 887, 888 ,890 ,891 ,892 ,893 & 894) & JALMA SANSTHAN (KHASRA NO.-34/4) PROPOSED TO BE DIVERTED FOR CONSTRUCTION OF D.S.T.P.IN SCHEME OF NAMAMI GANGE, AGRA SEWERAGE (I & D AND STP WORKS) IN AGRA,UTTAR PRADESH

13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश वन निगम अथवा अन्य कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा सम्भव ना हो सके और उसका पतन आवश्यक हो ता याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव मूल्य देय होगा।
14. हस्तातरित भूमि मे पड़ने वाले वृक्षो के प्रतिकर मे याचक विभाग द्वारा हस्तातरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा एक पेड के स्थान पर दस पेडों का रोपण तथा तीन वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा निर्धारित किया जाए, का भुगतान वन विभाग को करना होगा। 1000 मीटर एवं 30 से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षो का पातन निषिद्व है। किसी प्रकार बॉज पेडो का पातन भी वर्जित है ऐसे वृक्षो के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही हो सकेगा।
15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाइन ले जाने में यथा सम्भव पेड़ो का कटान नही किया जायेगा या खंबो को ऊंचा कर उसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ो का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों कि संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके संबन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जाएगी। जिस पर संबन्धित वन संरक्षक अनुमोदन अनिवार्य है।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू–क्षरण की संभावना होती है, और नहर की दोनो पटरियो का पक्का करना आवश्यक समझा जाता है, तो ऐसा याचक अपने व्यय से स्वयं कराएगा।
17. उपलिखित मानक शर्तो के अतिरक्त यदि भारत सरकार द्वारा अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्त लगाई जाती है तो वे याचक विभाग को मान्य होगा।
18. वन विभाग का वास्तविक हस्तातरण तभी किया जाए, जब उक्त शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाए।

Ravindra Pratap Singh
Project Manager,
YAMUNA POLLUTION CONTROL UNIT,
U.P.JAL NIGAM(RURAL),AGRA

परियोजना प्रबन्धक
यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई
उ0 प्र0 जल निगम (ग्रामीण), आगरा

प्रतिहस्ताक्षरित

Counter signed by:-
Divisional Forest Officer
Forest Division Agra

Place : Agra